रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2009/चैत्र 10, 1931

No. 552] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2009/CHAITRA 10, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

का.आ. 890(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17.9.1991 की अधिसूचना संख्या 603 (अ) के द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17.9.1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गई थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी था।

2. अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा की पिछली बार सितम्बर, 2008 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाया गया।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुनः समीक्षा की गई है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड (एन डी एफ बी) इन दो जिलों में हिंसा की घटनाओं में संलिप्त रहना जारी रखे हुए हैं। ये संगठन इन दोनों जिलों में काडरों की भर्ती को भी जारी रखे हुए हैं तथा ग्रामीणों, व्यवसायियों और सरकारी कर्मचारियों से जबरन धन-वसूली में भी लगे हुए हैं। इन दोनों जिलों को भूमिगत संगठनों द्वारा पड़ोसी देशों में स्थित अपने शिविरों में आने-जाने के लिए ट्रांजिट मार्गों के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के इन दोनों गुटों के बीच तीव्र अन्तर-दलीय दुश्मनी भी बनी हुई है जिससे इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति और खराब हो गई है।

4. अतः, केन्द्रीय सरकार का मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने को 01 अप्रैल, 2009 से और छह (6) माह की अवधि के लिए, तब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए, जारी रखना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई.-II]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2009

S.O. 890(E).— Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17.9.1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2008 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2009.

3. A further review of the law & order situation in these two districts has since been undertaken. The National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah), National Socialist Council of Nagaland (Khaplang), United Liberation Front of Asom (ULFA) and National Democratic Front of Boroland (NDFB) continue to be involved in incidents of violence in these two districts. These outfits also continue recruitment of cadres in these two districts and have also been indulging in forcible extortion from villagers, businessmen and Government employees. These two districts are also being used by the underground outfits as transit routes for movement to and from their camps in neighbouring country. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland has also continued which has further vitiated the law & order situation in these two districts.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 01st April 2009, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-N.E.-II]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.